GST MOST IMP FACTS/QUESTIONS

GST के बारे में पूछे जा सकने वाले प्रश्न !!

EVERYTHING YOU NEED TO KNOW RELATED TO GST FOR EXAMS

- भारत में 1 जुलाई २०17 से लागू होने वाली एक **महत्वपूर्ण अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था** है जिसे सरकार व कई अर्थशास्त्रियों द्वारा इसे स्वतंत्रता के पश्चात् सबसे बड़ा आर्थिक सुधार बताया है।इससे केन्द्र एवम् विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भिन्न भिन्न दरों पर लगाए जा रहे विभिन्न करों को हटाकर पूरे देश के लिए एक ही अप्रत्योक्ष कर प्रणाली लागू की जाएगी जिससे **भारत को एकीकृत साझा बाजार** बनाने में मदद मिलेगी। ***भारतीय संविधान में इस कर व्यवस्था को लागू करने के लिए संशोधन*** किया गया है।
- फिलहाल **भारतवासी 17 अलग-अलग तरह के कर चुकाते हैं** जबकि जीएसटी लागू होने के बाद केवल एक ही तरह का कर दिया जाएगा इसके लागु होते ही एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, मनोरंजन कर, लग्जरी कर जैसे बहुत सारे कर खत्म हो जाएंगे|
- **जीएसटी लागू होने के बाद किसी भी सामान और सेवा पर कर वह लगेगा जहां वह बिकेगा** | जीएसटी अलग-अलग स्तर पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी, सर्विस कर इत्यादि की जगह अब केवल जीएसटी लगेगा |जीएसटी परिषद ने 66 तरह के प्रोडक्ट्स पर टैक्स की दरें घटाई

STUDY FOR

- It is a destination based tax on consumption of goods and services. It is proposed to be levied at all stages right from manufacture up to final consumption with credit of taxes paid at previous stages available as setoff. In a nutshell, only value addition will be taxed and burden of tax is to be borne by the final consumer
- The tax would accrue to the taxing authority which has jurisdiction over the place of consumption which is also termed as place of supply

- GST IS DESTINATION BASED !!!

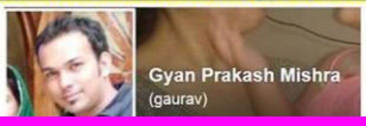

One nation, one tax, one market

GST NEEDED CHANGE IN CONSTITUTION :- ARTICLE 368 – LOK SABHA , RAJYA SABHA , STATE ASSEMBLIES (MORE THAN HALF – 15 REQUIRED) , PRESIDENT ASSENT !!

GST NEEDS CHANGES IN :-

Article 246 (A)
Article 269A
Article 279-A:
Changes in the 7th Schedule :- Union List , State List

SERVICES

जीएसटी के अंतर्गत तीन प्रकार के अलग अलग कर लगाये जायेंगे| राज्य के अंतर्गत की गयी सप्लाई पर केंद्रीय जीएसटी (सिजीएसटी) और राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) लगाया जाएगा तथा राज्य के बाहर की गयी सप्लाई पर आईजीएसटी लगाया जाएगा

- 1 जुलाई, 2017 को ऐतिहासिक वस्तु एवं सेवा कर (GST) लागू हो गया।
- इसे 30 जून-1जुलाई, 2017 की मध्यरात्रि के समय संसद के केंद्रीय कक्ष में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी एवं प्रधानमंत्री द्वारा लांच कियागया।

जीएसटी क्यों महत्वपूर्ण है-

- जीएसटी स्वतंत्रता के बाद सबसे बड़ा कर सुधार है।

- यह **एक राष्ट्र-एक कर-एक बाजार** का लक्ष्य हासिल करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- जीएसटी से सभी पक्षों को लाभ पहुंचेगा, जैसे उद्योग, सरकार और उपभोक्ता।
- इससे वस्तुओं एवं सेवाओं की लागत में कमी आएगी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और उत्पाद एवं सेवाओं को वैश्विक रूप में प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जा सकेगा।
- जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत, **निर्यात पर कर दर शून्य हो जाएगी**।
- जीएसटी भारत को साझा बाजार बनाएगा जिसमें करों की दरें और प्रक्रियाएं एक समान होंगी तथा आर्थिक अड़चनें समाप्त हो जाएंगी।

क्या है जीएसटी?

- वस्तु एवं सेवा कर एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत को एकीकृत साझा बाजार बनाने के उद्देश्य से लागू किया जा रहा है।
- यह निर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति पर एकल कर है।

जीएसटी में शामिल कर

केंद्रीय कर

(i) केंद्रीय उत्पाद शुल्क

(ii) अतिरिक्त उत्पाद शुल्क

(iii) सेवा कर

STUDY FOR CIVIL SERVICES
EMAIL UPDATES COURSE- GET ALL OUR VIDEO PDFS- (OLD + NEW)IN ONE SINGLE COURSE

(iv) अतिरिक्त सीमा शुल्क

(v) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क

(vi) अधिभार एवं उपकर

राज्य कर

(i) राज्य मूल्य संवर्धन कर (VAT) बिक्री कर,

(ii) मनोरंजन कर (स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर)

(iii) केंद्रीय बिक्री कर (केंद्र द्वारा आयोजित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित)

(iv) चुंगी एवं प्रवेश कर

(v) क्रय कर

(vi) विलासिता कर

(vii) लॉटरी, सट्टा और जुएं पर कर।

The GST would replace the following taxes:

(i) taxes currently levied and collected by the Centre:
a. Central Excise duty
b. Duties of Excise (Medicinal and Toilet Preparations)
c. Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance)
d. Additional Duties of Excise (Textiles and Textile Products)
e. Additional Duties of Customs (commonly known as CVD)
f. Special Additional Duty of Customs (SAD)
g. Service Tax
h. Central Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and services

(ii) State taxes that would be subsumed under the GST are:
a. State VAT
b. Central Sales Tax
c. Luxury Tax
d. Entry Tax (all forms)
e. Entertainment and Amusement Tax (except when levied by the local bodies)
f. Taxes on advertisements
g. Purchase Tax
h. Taxes on lotteries, betting and gambling
i. State Surcharges and Cesses so far as they relate to supply of goods and services

STUDY FOR CIVIL SERVICES
https://www.facebook.com/studyforcivilservices/

जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए कर

(i) मानवीय खपत के लिए नशीली शराब पर कर;

(ii) पांच पेट्रोलियम एवं पेट्रो उत्पादों (अपरिष्कृत पेट्रोलियम , उच्च गति डीजल , मोटर स्प्रिट, प्राकृतिक गैस तथा विमान ईंधन) पर कर (अस्थायी प्रावधान)।

(iii) सेवा कर

(iv) अतिरिक्त सीमा शुल्क

(v) विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क

(vi) अधिभार एवं उपकर

क्षतिपूर्ति

जीएसटी की वजह से हुए राजस्व नुकसान की क्षतिपूर्ति केंद्र द्वारा राज्यों को पांच वर्ष तक किया जाएगा।

जीएसटी की यात्रा

- **History :-**
- V P SINGH – 1986 – MODVAT
- 2003 – VIJAY KELKAR COMMITTEE – GST RECOMMENDED (SUGGESTED BY 12TH FINANCE COMMISSION)

भारत में लंबे समय से चली आ रही कर सुधार की मांग उस समय पूरी होती नजर आई जब भारतीय संसद के दोनों सदनों ने वस्तु एवं सेवा कर विधेयक पारित किया।

यह 122वां संविधान संशोधन विधेयक है जिसे **राज्य सभा ने 3 अगस्त, 2016** को पारित कर दिया।

RAJYA SABHA :- 3 AUGUST

LOK SABHA :- 8 AUGUST

PRESIDENT :- 8 SEPTEMBER

आधे राज्यों के अनुसमर्थन के पश्चात **8 सितंबर , 2016 को राष्ट्रपति** हस्ताक्षरोपरांत यह संविधान (101वां संशोधन) अधिनियम, 2016 के रूप में अधिनियमित हुआ।

29 मार्च, 2017 को केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोकसभा में वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित चार विधेयक लोकसभा के विचारार्थ एवं पारित करने हेतु पेश किए।

ये थे- (i) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर विधेयक , 2017 (ii) एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर , 2017 (iii) संघ शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर विधेयक , 2017 और (iv) जीएसटी (राज्यों की क्षतिपूर्ति) विधेयक, 2017

ये सभी विधेयक लोकसभा ने 29 मार्च, 2017 को और राज्यसभा ने 6 अप्रैल, 2017 को पारित कर दिए।

जीएसटी परिषद (GST COUNCIL) :-

संविधान में नया अनुच्छेद 279A जोड़कर जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। इसकी स्थापना **12 सितंबर, 2016** को की गई।

केंद्रीय वित्त मंत्री इस परिषद के अध्यक्ष तथा केंद्रीय राज्य मंत्री (वित्त राजस्व के प्रभारी) एवं राज्यों के वित्त या कर मंत्री या वे जिन्हें नामित राज्य करें, सदस्य होंगे।

Article 279-A:

This article provides for constitution of a GST council by president within sixty days from this act coming into force. The GST council will constitute the following members:

- Union Finance Minister as chairman of the council
- Union Minister of State in charge of Revenue or Finance
- One nominated member from each state who is in charge of finance or taxation

How will decisions be taken by GST Council?

Ans. The Constitution (one hundred and first amendment) Act, 2016 provides that every decision of the GST Council shall be taken at a meeting by a majority of not less than 3/4th of the weighted votes of the Members present and voting. The vote of the Central Government shall have a weightage of 1/3rd of the votes cast and the votes of all the State Governments taken together shall have a weightage of 2/3rd of the total votes cast in that meeting. One half of the total number of members of the GST Council shall constitute the quorum at its meetings

यह परिषद उन करों, उपकरों तथा अधिभारों जो संघ/राज्य/क्षेत्रीय निकाय द्वारा लगाए जाते हैं, के जीएसटी में सम्मिलन या छूट के संदर्भ में सिफारिशें देगी।

यह जीएसटी से संबंधित मानकों का निर्धारण करेगी।

अपनी स्थापना के बाद से जीएसटी परिषद की **कुल 18 बैठकें हो चुकी हैं।**

जीएसटी परिषद ने जीएसटी के अंतिम ढांचे को निम्नांकित रूप में मंजूर किया है-

(i) जीएसटी के लिए **5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत की चार स्लैब टैक्स** दर संरचना का अनुमोदन किया गया है।

(ii) विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए जीएसटी लगाने से छूट की सीमा **20 लाख रुपये होगी, विशेष श्रेणी राज्यों के लिए यह सीमा 10 लाख रुपये होगी**।

(iii) विशेष श्रेणी राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों के लिए कम्पोजिशन स्कीम का लाभ उठाने की सीमा 75 लाख रुपये होगी और उन्हें केवल तिमाही रिटर्न दाखिल करनी होगी , सेवा प्रदाताओं की कुछ श्रेणियों (रेस्टोरेंट को छोड़कर) को कम्पोजिशन स्कीम से बाहर रखा गया है।

(iv) खाद्यान्न (Foodgrains) गेंहू, चावल जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं पर जीएसटी की दर शून्य प्रतिशत होगी।

(v) आम उपभोग की वस्तुओं पर जीएसटी 5 प्रतिशत की दर से आरोपित होगी।

(vi) इसके अलावा 12 प्रतिशत एवं 18 प्रतिशत दरों के अंतर्गत अधिकांश वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया गया है।

(vii) **लगभग 81 प्रतिशत वस्तुओं पर टैक्स की दर 0 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के अंदर आती है।**

(viii) विलासिता वाले तथा अवगुणों से युक्त उत्पादों/सेवाओं पर कर 28 प्रतिशत की दर से आरोपित की जाएगी।

(ix) **कुछ वस्तुओं पर एक उपकर लगाया जाएगा , जिनमें लक्जरी कारें, वातित, पेय पदार्थ, पान मसाला और तंबाकू उत्पाद शामिल हैं , जिन पर जीएसटी की 28 प्रतिशत की दर के ऊपर उपकर लगाया जाएगा, ताकि राज्यों को प्रतिपूरक किया जा सके।**

जीएसटी की अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषताएं

- जीएसटी के सभी लेनदेन और प्रक्रियाएं ***केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए की जाएगी***; ताकि हस्तक्षेप रहित प्रशासन का लक्ष्य हासिल किया जा सके।
- जीएसटी में मासिक रिटर्न और वार्षिक रिटर्न के स्वतः सृजन सुविधा का प्रावधान है।
- इसमें करदाताओं को 60 दिन के भीतर निर्धारित अनुदान का रिफंड प्रदान करने और सात दिन के भीतर निर्यातकों को 90 प्रतिशत अस्थायी रूप से जारी करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। समय पर रिफंड मंजूर न होने की स्थिति में ब्याज भुगतान और रिफंड सीधे बैंक खातों में क्रेडिट करने जैसे उपाय भी किए गए हैं।

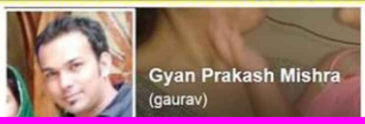

- जीएसटी में पारदर्शिता हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (GSTN) बनाया गया है।
- Tobacco and tobacco products would be subject to GST. In addition, the Centre would have the power to levy Central Excise duty on these products.
- Centre will levy and administer CGST & IGST while respective states will levy and administer SGST
- Under the GST regime, an Integrated GST (IGST) would be levied and collected by the Centre on inter-State supply of goods and services. **Under Article 269A of the Constitution**, the GST on supplies in the course of interState trade or commerce shall be levied and collected by the Government of India and such tax shall be apportioned between the Union and the States in the manner as may be provided by Parliament by law on the recommendations of the Goods and Services Tax Council
- **Imports of Goods and Services will be treated as inter-state supplies and IGST will be levied** on import of goods and services into the country
- **Exports will be treated as zero rated supplies.** No tax will be payable on exports of goods or services, however credit of input tax credit will be available and same will be available as refund to the exporters
- GSTN stands for Goods and Service Tax Network (GSTN). A Special Purpose Vehicle called the GSTN has been set up to cater to the needs of GST. The GSTN shall provide a shared IT infrastructure and services to Central and State Governments, tax payers and other stakeholders for implementation of GST

STUDY FOR CIVIL SERVICES

EMAIL UPDATES COURSE- GET ALL OUR VIDEO PDFS- (OLD + NEW)IN ONE SINGLE COURSE

1. GST लागू किया गया – 1 July 2017
2. GST लागू करने का सुझाव किसने दिया → विजय केलकर समिति ने
3. सर्वप्रथम GST BILL का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष थे – असीम दास गुप्ता
4. संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद (GST Council) का गठन किया गया → ARTICLE-279(A).
5. GST परिषद में सम्मिलित कुल कितने सदस्य हैं = 33
6. संविधान संशोधन – BILL – 122th 122वाँ
   ACT → 101वाँ
7. जीएसटी में समाहित कुल अप्रत्यक्ष कर (Indirect tax) तथा अधिभार (cess) ⇒ 17 अप्रत्यक्ष (Indirect) & 23 अधिभार (cess)
8. जीएसटी पास किया
   - Lok Sabha – 3 August 2016
   - Rajya Sabha – 8 August 2016
   - President Assent ⇒ 8 Sep. 2016
9. जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य ⇒ ASSAM

study for civil services
by
G.P.

   अंतिम राज्य ⇒ Jammu & Kashmir.
10. GST लागू करने वाला विश्व का पहला देश ⇒ FRANCE (1954)
11. वार्षिक टर्नओवर की वह सीमा जिसके ऊपर कारोबारियों को GST पर Registration व भुगतान करना होगा ⇒
    20 लाख
    10 लाख → विशेष राज्यों में

study for civil services
by
GYAN.

12. GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं ⇒ 15
13. GST चोरी करने पर कितने वर्ष का कारावास का प्रावधान है ⇒ 5 साल
14. राज्यों को GST से होने वाले नुकसान का कितने वर्षों तक केन्द्र 100% भरपाई करेगा ⇒ 5 साल.

study for civil services
by
GYAN.

STUDY FOR CIVIL SERVICES

https://www.facebook.com/studyforcivilservices/

STUDY FOR CIVIL SERVICES

EMAIL UPDATES COURSE- GET ALL OUR VIDEO PDFS- (OLD + NEW)IN ONE SINGLE COURSE

15. GST की दरें हैं → 4 (5%, 12%, 18%, 28%)

16. 28% दर वाली वस्तुओं का कुल प्रतिशत है ⇒ 19%

17. GST से 2% GDP growth का अनुमान

18. 3 TYPES OF GST → CGST, SGST, IGST

19. GST किस प्रकार का कर है → अप्रत्यक्ष, बहुस्तरीय, गंतव्य आधारित

20. प्रमुख वस्तुएं जो GST से बाहर हैं → शराब व पेट्रोलियम तथा शिक्षा व स्वास्थ्य वस्तुएं

study for civil services
by
GYAN.

STUDY FOR CIVIL SER

STUDY FOR CIVIL SERVICES
https://www.facebook.com/studyforcivilservices/